न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – अभिषेक गोयल, RAS

प्रकरण संख्या : 89/2024
रजिस्ट्रेशन नं. : 2024/105

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)	बनाम	अभियुक्त :– श्री इरफान मिर्जा पुत्र श्री इदरीस मिर्जा निवासी ग्राउण्ड फ्लोर, राजेश्वर कम्पाउण्ड, आपोजिट कुशलबाग, बांसवाडा (विक्रेता/ मालिक) मैसर्स दी ब्लेक आउट बेकरी, ग्राउण्ड फ्लोर, राजेश्वर कम्पाउण्ड, आपोजिट कुशलबाग, बांसवाडा।

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 23–09–2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि **श्री उम्मेद मल टेलर** खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक **25–07–2024** को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक **08–05–2024** को दौराने निरीक्षण 4.50 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जाँच हेतु **मैसर्स दी ब्लेक आउट बेकरी, ग्राउण्ड फ्लोर, राजेश्वर कम्पाउण्ड, आपोजिट कुशलबाग, बांसवाडा** पर पहुंचा तो वहाँ पर **श्री इरफान मिर्जा पुत्र श्री इदरीस मिर्जा** मिले, उन्होने बताया कि वह मालिक है। **विक्रेता एवं गवाहान् की उपस्थिति में मैसर्स दी ब्लेक आउट बेकरी, ग्राउण्ड फ्लोर, राजेश्वर कम्पाउण्ड, आपोजिट कुशलबाग, बांसवाडा** का निरीक्षण करने पर दुकान में खाद्य पदार्थ **कुकिज (बेसन, मेदा, कारगिल घी, शक्कर, पिस्ता) (लुज) एक रैक में 20 पैकेट 250 ग्राम के रखे हुए थे,** जिसको एफ.एस.एस.ए 2006 के तहत देखने पर मानक स्तर का नही होने का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5[illegible] देते हुए खाद्य पदार्थ **कुकिज (बेसन, मेदा, कारगिल घी, शक्कर,** [illegible] प्रत्येक 250 ग्राम कुल **1 किलोग्राम** वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत [illegible]5/– रु. विक्रेता को न[illegible] चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.10.25 10:55:57 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)

कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **कुकिज (बेसन, मेदा, कारगिल घी, शक्कर, पिस्ता) (लुज) कुल 1 किलोग्राम को 4 साफ सुखे प्लास्टिक के जारो में बराबर बराबर डालकर उसमें परीरक्षक फॉर्मलीन की 36–36 बूंदे प्रत्येक भाग में डालकर एयर टाईड ढक्कन बंद कर चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग** पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-1818** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी व सील बंद किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनो पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर मौका फर्द रिर्पोट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर, हस्ताक्षर करने को कहा, जिन्होने स्वयं ने भी पढकर, सुनकर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

कार्यालय पहुचकर फार्म नंबर 6 की प्रतियाँ तैयार की प्रत्येक पर सील मोहर कर एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2024/232 दिनांक 22–05–2024 एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 564 दिनांक 16–05–2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **कुकिज (बेसन, मेदा, कारगिल घी, शक्कर, पिस्ता) (लुज)** का नमुना कोड क्रमांक **W-181**[illegible] substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 20[illegible] सूचना विक्रेता/मालिक को दी गई, नमूने की पुनः जाँच हेतु अपील नही की है। प्र[illegible]ा अभियुक्त ने सबस्टेण्डर्ड **कुकिज (बेसन, मेदा, कारगिल घी, शक्कर, पिस्ता) (लुज) का** विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.10.25 10:55:57 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 30–07–2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 23–09–2024 को अप्रार्थी ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्त अपने पर लगे आरोप स्वीकार करता है अभियुक्त न्यायालय के आदेश को स्वीकार करने के लिये तैयार है।

आरोपी की ओर से अपराध स्वीकार किया गया है अतः किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए / 2024 / 232 दिनांक 22–05–2024 एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 564 दिनांक 16–05–2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **कुकिज (बेसन, मेदा, कारगिल घी, शक्कर, पिस्ता) (लुज)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1818** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया है। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सबस्टेण्डर्ड पाया गया खाद्य पदार्थ **कुकिज (बेसन, मेदा, कारगिल घी, शक्कर, पिस्ता) (लुज)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी **श्री इरफान मिर्जा पुत्र श्री इदरीस मिर्जा निवासी ग्राउण्ड फ्लोर, राजेश्वर कम्पाउण्ड, आपोजिट कुशलबाग, बांसवाडा (विक्रेता / मालिक) मैसर्स दी ब्लेक आउट बेकरी, ग्राउण्ड फ्लोर, राजेश्वर कम्पाउण्ड, आपोजिट कुशलबाग, बांसवाडा को रूपये 15000 / – (अक्षरे पन्द्रह हजार रुपया मात्र)** से दण्डित कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.10.25 10:55:57 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 23–09–2024 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अभिषेक गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.10.25 10:55:57 IST
Reason: SelfAttested